निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 21/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. लीलाराम पुत्र सोहन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।
2. रामपाल स्व. श्री जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर, तहसील पावटा जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री रिषभ मण्डल आई.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर ।

2 ग्राम पंचायत शुक्लाबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

3 नाहरसिंह मीणा पुत्र श्री सोनाराम उप सरपंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

4 राहुल सोनी पुत्र श्री सुरेश सोनी वार्ड पंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

5 नत्थूराम पुत्र श्री प्रभात यादव वार्ड पंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

6 राधेश्याम पुत्र श्री उमराव प्रसाद यादव निवासी ग्राम शुक्लाबास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

7 ओमकार पुत्र श्री मोतीराम यादव निवासी ग्राम शुक्लावास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

8 वेद प्रकाश पुत्र श्री रूडमल

9 शिव कुमार पुत्र श्री रूडमल

10 विष्णुदत्त पुत्र श्री रूडमल

11 गिरधर शंकर पुत्र श्री रूडमल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लावास, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

12 [illegible] पुत्र श्री रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी एफ 45, गली संख्या 1, गंगाविहार, दिल्ली, हाल आबाद 11/134 सैक्टर–3, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

13 खेमचन्द पुत्र श्री सोहन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।

14 हरिराम पुत्र स्व. श्री जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।

15 छाजूराम पुत्र स्व. श्री जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर, तहसील पावटा, जिला जयपुर ।

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर ।

17 सब रजिस्ट्रार कोटपूतली, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 73/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 62/2022 ब उनवानी ग्राम पंचायत शुक्लाबास व अन्य बनाम वेद प्रकाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री सीताराम यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6, व 7 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 20.02.2023

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष प्रकरण संख्या 73/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 62/2022 व उनवानी ग्राम पंचायत शुक्लाबास व अन्य बनाम वेद प्रकाश व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6, व 7 की ओर से वकील श्री सीताराम यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से मेरी जान पहचान है उनसे हम हमारे हक में इस दावे का निर्णय करवा लेंगे । तारीख पेशी के पश्चात जब प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी की देखभाल के लिए गया हुआ था तो अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रार्थी संख्या 4 रामपाल को धमकी भरे शब्दों में कहा कि इस अधिकारी से हमारे पक्ष में निर्णय करवा कर आपको विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करके रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 6 राधेश्याम यादव जो आपने आपको सामाजिक कार्यकर्ता कहता है तथा इसकी आड में उसका मुख्य कार्य लोगों को बहका कर काश्तकार व अन्य लोगों को ब्लेकमेल करना व नही मानने पर चंदा इक्ट्ठा कर न्यायालय में झूंठे मुकदमा करना, धरना प्रदर्शन, रास्ते जाम कर अखबारों व मिडिया की सुर्खियों मे बना रहता है। इस मुकदमे में भी अप्रार्थी संख्या 6 यही कार्य कर रहा है, उसने गांव वालो तथा उसके जाति के सरपंच से मिलीभगत करते हुय सरपंच को शामिल कर एवं नाजायज संगठन बना कर परेशान करने का झूंठा मुकदमा किया है। प्रशासनिक अधिकारियों की आड ले कर धमकी दे ता है कि येनकेन प्रकारेण उक्त मुकदमा को अपने पक्ष में करवाने पर उतारू हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 6 जब भी इस मुकदमा की तारीख पेशी होती है उस दिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के चैम्बर में घन्टो बैठा रहता है तथा धमकी भरे शब्दों मे कहता है कि मेरी बेटी प्रशासनिक अधिकारी है जिसकी जान पहचान एस.डी.ओ. साहब से है, जिसके आधार पर इस अधिकारी से हमारे पक्ष में निर्णय करवा कर आपको विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करके रहेंगे। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा धमकी देने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से न्याय की कतई कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 व 7 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि एस डी ओ कोटपूतली के यहां जो दावा विचाराधीन है, उसमें आदेश दिनांक 16.05.2022 को पारित किया गया है जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर के यहां पेश की गई जिसमें आदेश दिनांक 23.06.2022 पारित किया गया। आदेश दिनांक 23.06.2022 की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई जिसमें निर्णय दिनांक 27.07.2022 को पारित हुआ। निगरानी में पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित रहे थे । निर्णय में आदेश पारित किये गये कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को आदेशित किया जाता है कि वे

जिला कलक्टर
जयपुर

उनके न्यायालय में लम्बित अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुन कर 2 माह की अवधि में विधि सम्मत आदेश पारित करे यह आदेश दिनांक 27.07.2022 को पारित किया गया था। वर्तमान में आवेदको द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष देरी की जा रही है । राजस्व मण्डल के आदेश के अनुसार करीब 6 माह बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने दे रहे है। पीठासीन अधिकारी एस डी ओ उत्तरदाता के कोई रिश्तेदार नही है और ना ही जान पहचान में है, ना ही कोई परिवार के सदस्य है जो तथ्य अंकित किये है वो बेबुनियाद है । पीठासीन अधिकारी व उत्तरदाता की बेटी एक बैच की अधिकारी भी नहीं है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस करनी चाहिये तथा अपने दस्तावेज एवं तथ्य रखने चाहिये। न्यायालय के निर्णय पर यदि सन्तुष्ट नही हो तो विधिनुसार अपील करने के प्रावधान है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, परन्तु चूंकि प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 73/2022 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 62/2022 ब उनवानी ग्राम पंचायत शुक्लाबास व अन्य बनाम वेद प्रकाश व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.03.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 27.07.2022 अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली एवं उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर